

पुनर्विज्ञप्ति सहायक लेखाकार पद हेतु
कार्यालय: मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बागपत
आदेश संख्या 946/एम0ए0सी0टी0/2026 दिनांक 05-09-2026
चयन समिति कार्यवृत्त/विज्ञप्ति

चयन समिति, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बागपत के निर्देशानुरूप दिनांक 17-08-2026 को सहायक लेखाकार पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति निकाली गयी थी। उपरोक्त विज्ञप्ति अनुरूप उपरोक्त पद पर प्रार्थना पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक 24-08-2026 तक किसी प्रार्थी द्वारा कोई आवेदन न किये जाने पर उपरोक्त सहायक लेखाकार के पद हेतु पुनः विज्ञप्ति जारी की जाती है जिसमें उपरोक्त सहायक लेखाकार के पद हेतु सेवा शर्तें पूर्व विज्ञप्ति अनुरूप रहेंगी व उपरोक्त पद हेतु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 15-09-2026 की साँय 5.00 बजे नियत की गयी है।

संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या एम0ए0सी0टी0 73/30-03-2020 दिनांक 25-02-2020 के एवं माननीय उच्च न्यायालय, उ0प्र0 इलाहाबाद के आदेश संख्या 11274/2024/एडमिन-जी

-1/इलाहाबाद दिनांक 20-08-2024 के क्रम में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बागपत में वर्ष 2025-26 में रिक्त व रिक्त होने वाले पदों के क्रम में कर्मचारी नियुक्त किये जाने हेतु दिनांक 28-07-2026 को चयन समिति का गठन किया गया:-

1-पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बागपत।
अध्यक्ष

2-वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागपत।

सदस्य

3-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागपत

सदस्य

4-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन, बागपत

सदस्य सचिव/संयोजक

इस अधिकरण में संविदा के आधार पर पूर्व में कार्यरत सहायक लेखाकार श्री आनन्द सिंह द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र दिनांक 13-04-2026 को अधिकरण द्वारा स्वीकृत होने के कारण उपरोक्त सहायक लेखाकार का पद इस अधिकरण में तत्समय से रिक्त है। उक्त पद पर विभिन्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत न्यायालय/शासन से सेवानिवृत्त कर्मियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है।

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-01/953971/30-03-2025 परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 06-05-2025 व तदानुरूप परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 446(जी) ई/2025-173ई/2021 दिनांक 28-05-2025 के दिशा-निर्देशानुसार कम्प्यूटर सहायक 01 पद, कम्प्यूटर प्रोग्रामर 01 पद, कुल 02 पद पर नियुक्ति नियमानुसार मैन पावर आउट सौर्स की जानी है।

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1733/30-03-2025 परिवहन अनुभाग-03 लखनऊ दिनांक 12 अगस्त 2025 जो परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ को सम्बोधित है, के द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में रखे जाने वाले कम्प्यूटर सहायक तथा कम्प्यूटर प्रोग्रामर का नियत मानदेय प्रतिमाह रु0 20,000/-रूपये निर्धारित किया गया है।

उक्त विषय सन्दर्भ में चयन समिति की बैठक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बागपत के पीठासीन अधिकारी के विश्राम कक्ष में दिनांक 05-08-2026 को समय 4.30 बजे आहूत की गयी जिसमें चयन

समिति द्वारा उक्त दोनों नियुक्ति प्रकरण-1-सहायक लेखाकार, 2-कम्प्यूटर सहायक व कम्प्यूटर प्रोग्रामर पर विचार विमर्श कर अपना सर्वसम्मति अभिमत व्यक्त किया गया जो उक्त नियुक्तियों के सम्बंध में कमबद्ध निम्न है:-

क- सहायक लेखाकार

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बागपत में सहायक लेखाकार के पद के लिए उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्णकालिक स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति से पद भरे जाने तक के लिये उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 676/तीस-3-2019 परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 09.03.2019, शासनादेश संख्या 1324/तीस-3-2019 परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 26.07.2019 एवं व उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या एम0ए0सी0 टी0-73/30-3-2020 परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 25.02.2020 के आलोक में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बागपत में विभिन्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहायक लेखाकार की पुनर्नियुक्ति की जानी है जिस हेतु न्यायालय/शासन से सेवा निवृत्त कर्मियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पद का विवरण निम्नवत् है:-

पद का नाम	पद की संख्या	नियोजन की प्रकृति
सहायक लेखाकार	01पद	सेवा निवृत्त कर्मचारियों से संविदा के आधार पर।

इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी विज्ञप्ति के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र दिनांक 15.09.2026 तक कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बागपत पर पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं अथवा स्वयं कार्यालय के कनिष्ठ सहायक/ प्रस्तुतकार श्री मिलेन्द्र कुमार सरस को प्राप्त करा सकते हैं। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 15.09.2026 को सायंकाल 5.00 बजे के पश्चात् कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नियुक्ति के सम्बन्ध में अनिवार्य शर्तें व विवरण निम्नवत् है:-

1. सहायक लेखाकार के पद पर नियोजित कर्मचारी की संविदा के आधार पर नियुक्ति की जायेगी। संविदा कर्मचारी को उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में अंतिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) को घटाने पर प्राप्त होने वाली राशि के बराबर वेतन देय होगा। अतएव आवेदक सेवा निवृत्त कर्मी अपने आवेदन-पत्र के साथ पेंशन प्राधिकार-पत्र/पी0पी0ओ0 की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करेंगे।
2. ऐसे अभ्यर्थी/कर्मचारी जो माह अगस्त, 2026 में सेवा निवृत्त हो रहे हों, वे भी आवेदन कर सकते हैं।
3. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को लेखा कार्य का कम्प्यूटरीकृत ज्ञान यथा यू0 पी0 कोष पोर्टल पर वेतन बिल तैयार करना, पोर्टल पर बिल तैयार करना, भुगतान बाउचर दर्ज करना इत्यादि का होना अति आवश्यक है। न्यायालय से सेवा निवृत्त कर्मी एवं पूर्व के लेखा कार्य का अनुभव रखने वाले सेवा निवृत्त कर्मी को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. यह पुनर्नियुक्ति, सेवानिवृत्त कर्मी के पूर्व कार्यवृत्त अभिलेख एवं चरित्र-पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि व व्यक्तिगत साक्षात्कार में उपयुक्तता एवं वरीयता के आधार पर की जायेगी। सेवानिवृत्त आवेदक/सेवानिवृत्त कर्मी अपने आवेदन-पत्र के साथ पूर्ववर्ती 05 वर्षों में चरित्र पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करेंगे।
5. इस पुनर्नियुक्ति हेतु सेवा निवृत्त कर्मी अपने आवेदन पत्र के साथ इस आशय का नोटरी शपथ-पत्र कि उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद लम्बित नहीं है और न ही कभी उन्हें किसी आपराधिक मामले में दण्डित किया गया है, संलग्न करेंगे।

6. आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. उपरोक्त शासनादेश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बागपत के कनिष्ठ सहायक/प्रस्तुतकार के पास इच्छुक अभ्यर्थियों को अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।

:: आवेदन का प्रारूप ::

स्व हस्ताक्षरित
पासपोर्ट साइज का नवीनतम
फोटो चस्पा करें

.....पद हेतु आवेदन पत्र

1-आवेदक का नाम:

2-पिता का नाम :

3-जन्म तिथि :

4-शैक्षणिक योग्यता:

(शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रतियां संलग्न करें)

4-आवेदन के दिनांक को आयु:

5-अन्तिम धारित पद एवं वेतनमान:

6-सेवा निवृत्ति का दिनांक:

(पेंशन प्राधिकार-पत्र./पी.पी.ओ. की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)

7-स्थायी पता:

8-पत्राचार का पता:

9-ई-मेल आईडी0

10-मोबाइल नम्बर.....

11-सेवा निवृत्त कार्यालय से सेवा निवृत्त आवेदक की पूर्ववर्ती 05 वर्षों की गोपनीय प्रविष्टि का विवरण :

(स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)

12-क्या आपको अपने पूर्ण सेवाकाल में कभी प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है, लघु व दीर्घ दण्डात्मक कार्यवाही से दण्डित किया गया है, यदि हां तो विवरण:-
(नोटरी शपथ-पत्र संलग्न करें)

13-आधार नम्बर (स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें).....

14-पैन नम्बर (स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)

:: घोषणा पत्र::

मैं प्रमाणित करता हूं कि वर्तमान में पूर्ण रूप से स्वस्थ और दिये



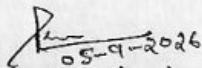
जाने वाले राजकीय कार्य को करने में सक्षम हूं। मैंने आवेदन सम्बन्धी सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अवलोकन कर लिया है, जो मुझे स्वीकार है। आवेदन में अंकित समस्त विवरण तथा संलग्नक सही एवं सत्य हैं तथा मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई सूचना गलत या झूठी पाई जाती है, तो उसका पूर्ण दायित्व मेरा होगा और इस सम्बन्ध में मेरे विरुद्ध की गयी कोई कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी। नियुक्ति की अवस्था में मैं कार्य करने हेतु उपस्थित होऊंगा।

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

कनिष्ठ सहायक/प्रस्तुतकार को निर्देशित किया जाता है कि वे इस विज्ञप्ति का प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें तथा विज्ञप्ति को जिला न्यायालय बागपत एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बागपत के सूचना पट पर प्रदर्शित/चस्पा किया जाये तथा एक प्रति जिला सूचना अधिकारी जनपद बागपत को प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

इस विज्ञप्ति को सूचनार्थ माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेब साइट पर अपलोड व जिला न्यायालय, बागपत एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बागपत के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाये।

 05-04-2026

(प्रदीप कुमार-पंचम)

पीठासीन अधिकारी

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बागपत/

अध्यक्ष, चयन समिति, बागपत